मुख्य–मुख्य उपलब्धियाँ

- किसानों को दुनियाभर के खेती के नये तरीकों व तकनीकों की जानकारी देने और राज्य में कृषि क्षेत्र में नये अवसर पैदा हों, इसके लिए **ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम)** का आयोजन 9–11 नवम्बर, 2016 में किया जायेगा।

- राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों को जल की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिये **मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान** प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत 4 वर्षों में 21 हजार गांवो में जल सरंक्षण के कार्य करवाकर पेयजल का स्थायी समाधान किया जायेगा। प्रथम चरण में अभियान अन्तर्गत राज्य की समस्त 295 पंचायत समितियों में 3 हजार 529 गांवों का चयन कर 27 जनवरी 2016 से कार्यों का शुभारंभ किया गया। इन गांवों में 1 हजार 251 करोड़ राशि व्यय कर 93 हजार 601कार्य पूर्ण करवाये गये।

- इस वर्ष 2100 करोड़ रूपये की लागत से 4 हजार 200 नए गांवों में 16 नवम्बर से **मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान** के **द्वितीय चरण** को प्रारंभ किया जाएगा।

- इस बार मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन को न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी संचालित किया जायेगा। शहरी क्षेत्रों में पूर्व में निर्मित बावड़ियों, तालाबों, जोहड़ों औ चवदके आदि का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। इसके अलावा Roof Top Water Harvesting System के निर्माण को भी प्रोत्साहित किया जायेगा, percolation tanks भी निर्मित किये जाएंगे।

- मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान अन्तर्गत सृजित समस्त जल संरचनाओं पर वन विभाग व अन्य विभागों द्वारा लगभग 25 लाख पौधें लगा कर **वृक्षारोपण** कार्य किया गया।

- **भामाशाह स्वास्थ्य बीमा** योजना से 470 राजकीय एवं 568 निजी चिकित्सालय जोड़े जाकर देश में सर्वाधिक कुल **1 हजार 715 बीमारियों** को **कवर** किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष सामान्य बीमारियों हेतु 30 हजार रूपये। चिन्हित गम्भीर बीमारियों हेतु 3 लाख रूपये तक का बीमा लाभ प्राप्त हो सकेगा। योजना से **4 लाख 59 हजार** से अधिक इंडोर मरीजों को कैशलेस चिकित्सा सुविधाएं सुलभ करवाई जा चुकी है। बीमा कम्पनी को 190 करोड़ रूपये के बीमा क्लेम प्रेषित किये जा चुके है।

- बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए **मुख्यमंत्री राजश्री योजना** लागू की गई है:–

  - **राजश्री योजना** के तहत 1 जून 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिका के जन्म पर एवं उसकी प्रथम वर्ष गांठ पर क्रमशः 2 हजार 500 रुपये एवं 2 हजार 500 रुपये दिये जायेंगे।

- राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर 4 हजार रुपये दिये जायेंगे।
- राजकीय विद्यालय में कक्षा 6 और 10 में प्रवेश करने पर क्रमशः 5 हजार रुपये एवं 11 हजार रुपये दिये जायेंगे।
- राजकीय विद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं को 25 हजार रुपये दिये जायेंगे।
- **राजश्री योजना** के अंतर्गत 1 जून 2016 से 31 जुलाई, 2016 तक संस्थागत जन्म लेने वाली 1 **लाख 26 हजार 211 बालिकाओं** के जन्म पर रु. 2500/– प्रति बालिका की दर से **31 करोड़ 55 लाख रुपये का परिलाभ** दिया गया।

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत निजी जन–सहभागिता के माध्यम से PDS shops पर उच्च गुणवत्तायुक्त multi brand उपभोक्ता वस्तुएं उचित एवं सस्ती दर पर उपलब्ध कराने हेतु **अन्नपूर्णा भंडार योजना** प्रारंभ की गयी है। इससे एक ओर जहां राशन विक्रेताओं को अतिरिक्त आय होती है, वहीं दुकान पूरे माह खुली रहती है। प्रथम चरण में 5हजार उचित मूल्य दुकानों का चयन किया गया है। प्रदेश में 4 हजार 323 अन्नपूर्णा भंडार प्रारम्भ किये जा चुके हैं।

- **न्याय आपके द्वार, 2015 एवं 2016** कुल 69 लाख 89 हजार प्रकरणों का रिकॉर्ड निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान की तथा विशेष प्रयास कर **584 ग्राम पंचायतों को राजस्व वाद–रहित** किया गया है।

- आम जन को सरल कानूनी व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु 61 मूल अधिनियम (Principal Acts) तथा 187 संशोधन अधिनियमों (Amending Acts) को निरस्त किया गया।

- जनता से सीधा सम्पर्क स्थापित करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक अनूठा **'सरकार आपके द्वार'** कार्यक्रम प्रारम्भ किया।

- प्रार्थना पत्रों एवं परिवेदनाओं के समयबद्ध निस्तारण हेतु **राजस्थान सम्पर्क पोर्टल** विकसित किया गया है। जिस पर सभी प्रार्थना पत्रों/परिवेदनाओं को दर्ज किया जाता है। यह नागरिकों की परिवेदनाओं के निस्तारण एवं मॉनिटरिंग का कम्प्यूटर तकनीक आधारित एक इन्टीग्रेटेड पोर्टल है।
- आमजन को सुशासन उपलब्ध कराने की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने एक अभिनव कार्यक्रम ''**अपना जिला – अपनी सरकार**'' आरम्भ किया है जिसके अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा जिले में जाकर जनप्रतिनिधियों से मिलकर स्थानीय समस्याओं का Feed back लेना, आम जन की समस्याएं सुनकर उनका निवारण, राजकीय कार्यालयों का औचक निरीक्षण करके सुधारात्मक कदम उठा रहीं हैं।

कार्यक्रम के दौरान माननीया मुख्यमंत्री महोदया तीन दिवस तक जिले में प्रवास करती हैं।

कौशल विकास एवं रोजगार

- सरकारी क्षेत्र में **99 हजार नियमित नियुक्तियाँ** एवं **गैर–सरकारी क्षेत्र में 8 लाख 91 हजार रोजगार सहित** कुल **9 लाख 90 हजार रोजगार के अवसर उपलब्ध** करवाये गये हैं।

- राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा 1 लाख 48 हजार युवाओं को विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षण प्रदान किया गया, तथा 57 **हजार** 777 युवाओं को निजी क्षेत्र की संस्थानों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये गये हैं।

- पीपीपी मोड में **राज्य कापहला कौशल विकास विश्वविद्यालय** स्थापित करने हेतु भारतीय कौशल विकास कैम्पस (BSDC) के साथ MoU हस्ताक्षरित किया गया है। BSDC द्वारा 200 करोड़ रुपये की लागत से इस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। यह विश्वविद्यालय, BSDC द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण के स्विस दोहरी मॉडल पर आधारित होगा एवं सेज, जयपुर में विश्व स्तर के कौशल विकास केंद्र स्थापित करेगा।
- राजस्थान सरकार, भारतीय कौशल विकास कैम्पस एवं PHOTONICS के मध्य फोटोनिक्स के उभरते क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रियान्वन हेतु **उत्कृष्टता के केंद्र की स्थापना** हेतु एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पारित किया गया है। यह केंद्र कौशल विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा।

- वित्तीय वर्ष 2015–16 के अन्दर राज्य में कौशल उन्नयन हेतु नवीन **110 निजी आई.टी.आई. द्वारा 22 हजार 598 प्रवेश स्थानों की वृद्धि हुयी** जिससे राज्य देश के अग्रणीय राज्य में सम्मिलित हुआ।

- राजस्थान के युवाओं को कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु **कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग का गठन** किया गया है।

- एसोचैम एवं कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लगतार 2 वर्षो तक सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में गोल्ड ट्राफी।

- शिक्षित बेरोजगार युवाओं, महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं विशेष योग्यजनों का स्वयं का उद्यम प्रारम्भ करने हेतु 6–7 प्रतिशत की दर पर बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने हेतु **भामाशाह रोजगार सृजन योजना** लागू की गई है।

- **राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड का गठन** किया गया।

भामाशाह योजना

- **भामाशाह योजना** के अन्तर्गत 1 करोड़ 28 लाख परिवारों के 4 करोड़ 55 लाख व्यक्तियों का भामाशाह नामांकन किया जा चुका है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, भामशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, जननी सुरक्षा योजना इत्यादि के लाभ हस्तांतरण प्रारम्भ किये जा चुके हैं। भामाशह प्लेटफार्म के माध्यम से 9 करोड़ 99 लाख ट्रांजेक्शन कर 4 हजार 98 करोड़ रूपये से अधिक राशि विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित की जा चुकी है।

- लाभ के सीधे हस्तान्तरण से राज्य सरकार द्वारा डाक विभाग को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के मनीऑर्डर के लिये दिये जा रहे शुल्क के रूप में **250 करोड़ रूपये की प्रतिवर्ष बचत**।

- पेंशनर्स के जीवित होने का वार्षिक सत्यापन भी ई–मित्र के माध्यम से ऑनलाईन।

- भामाशाह प्लेटफार्म के माध्यम से लाभ हस्तांतरण हेतु अन्य योजनाओं को भी चरणबद्ध रूप से जोड़ा जा रहा है। भामाशाह योजना के माध्यम से प्रदान किये गये **लाभों की जानकारी आमजन** को देने के लिए दिनांक 24.04.2016 को आयोजित राज्य की ग्राम सभाओं में प्रथम प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

- भामाशाह योजना को वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए भारत सरकार द्वारा दिनांक 21–22 जनवरी, 2016 को नागपुर (महाराष्ट्र) में आयोजित 19वीं राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस कान्फ्रेंस में **राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस का स्वर्ण पुरस्कार** प्रदान किया गया है।

डिजिटल इण्डिया

- राज्य में 40 हजार **ई–मित्र केन्द्र** संचालित है इनके माध्यम से उक्त 252 सेवाए लाभार्थी के निकटस्थ ई–मित्र पर उपलब्ध कराई जाती है।

- भामाशाह योजना के अंतर्गत लाभान्वितों को राशि हस्तांतरण सुविधा पंचायत स्तर से नीचे उपलब्ध कराने हेतु 15 हजार **ई–मित्र pay points** स्थापित किये जायेंगे। 2 हजार ई–मित्र pay points स्थापित किये जा चुके है।

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने एवं कालाबाजारी को रोकने के लिए डिजिटाइज्ड राशन कार्ड्स के डेटाबेस आधार पर नवाचार के रूप में **PoS मशीन के माध्यम से बायोमैट्रिक सत्यापन के बाद खाद्यान्न वितरण** किया जा रहा है। 25 हजार पोस मशीनें उचित मूल्य की दुकानों पर पंजीकृत कर दी गई है।

- छात्रावास, आवासीय विद्यालय में प्रवेश, अनुप्रति एवं उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना के आवेदन पत्र **पेपरलेस प्रक्रिया** द्वारा एवं **लाभार्थी को भुगतान सीधे बैंक खाते में**।
- परिवहन विभाग में ड्राईविंग लाईसेन्स बनाना, अर्न्तराज्यीय परमिट राशि जमा करना आदि कार्य ऑनलाईन किये जा रहे है।
- उद्योग विभाग में उद्योगो का पंजीयन आदि कार्य ऑनलाईन किये जा रहे है।
- इसी प्रकार श्रम विभाग, पर्यावरण विभाग की समस्त सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही है।
- ग्राम पंचायतों तक नेट कनेक्टिविटी हेतु **Rajnet सेवाएं** प्रदान की गई है। Rajnet से राज्य की अधिकांश पंचायतें इंटरनेट एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ गई हैं।
- राजस्थान **E-GovernanceIT/ITeS नीति**, 2015 जारी।
- राज्य के ब्लॉक स्तर के 291 स्थानों पर भी वाई–फाई हॉटस्पॉट की सुविधा स्थापित की गई है।
- ई–मित्र परियोजना को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट, ईलेट्स नॉलेज एक्सचेंज अवार्ड 2015, राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग परियोजना को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट, आईटी एनेबल्ड भामाशाह परियोजना को **स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट** तथा राजधरा परियोजना को **ईएसआरआई अवार्ड, 2015**

पेयजल

- 2½वर्ष में 1 हजार 668 अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बस्तियों सहित 9 हजार 545 गांव व ढाणियों को **पेयजल** उपलब्ध करवाया गया, जिनमें 3 हजार 724 गुणवत्ता प्रभावित हैबिटेशन भी शामिल है।
- मात्र ढाई वर्ष में ही कुल 12 हजार 230 करोड़ रूपये का व्यय पेयजल योजनाओं में किया है जिसमें 9 हजार 551 करोड़ रूपये ग्रामीण क्षेत्र के एवं 2 हजार 679 करोड़ रूपये शहरी क्षेत्र की **पेयजल योजनाओं पर व्यय** किया गया है।
- 21 **वृहद् पेयजल परियोजनाओं** का कार्य पूर्ण कर इनके माध्यम से तथा अन्य प्रगतिरत परियोजनाओं से 11 शहरों एवं 2 हजार 998 ग्राम एवं ढाणियों को पेयजल से लाभान्वित कर कुल 47 लाख 30 हजार जनसंख्या को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया। 5 परियोजनाओं को इसी वर्ष पूर्ण किया जाएगा।
- **गुणवत्ता प्रभावित हैबिटेशन** को राहत देने के लिए 872 **आर.ओ. प्लान्ट्स** चालू कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस सफलता को दृष्टिगत रखते हुए 1 हजार 66 आर.ओ. प्लाण्ट की कुल राशि रूपये 246 करोड़ के कार्य हाथ में लिये हैं।

इसके अतिरिक्त 1 हजार 483 आर.ओ. प्लान्ट्स लगाने की कार्य योजना भी बनाई गई है।

- राज्य में पहली बार **सौर ऊर्जा आधारित** 1 हजार 390 **नलकूपों** को स्थापित किए जा रहे हैं।

जल संसाधन

- राज्य में उपलब्ध सीमित जल संसाधनों के समग्र एवं एकीकृत विकास, उपयोग एवं प्रबन्धन हेतु बेसिन, सब–बेसिन जलग्रहण क्षेत्रों में विकास कार्य करवाने तथा जन–सहभागिता पर आधारित योजनाएँ बनाकर उनके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु **राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन आयोजना प्राधिकरण** का गठन किया गया है।

- **फोर वाटर कन्सेप्ट** के अन्तर्गत वर्षा जल, सतही जल, भू–जल तथा मृदा जल के समुचित उपयोग हेतु चम्बल, माही, लूनी, सूकली एवं वेस्ट बनास बेसिन में माइक्रो सिंचाई एवं चेक डेम के कुल 546 कार्य राशि 1 हजार 441 करोड रूपये स्वीकृत किये गये है। इन कार्यो में 304 माइक्रो सिंचाई एवं 195 चेक डेम के कार्य शामिल किये गये हैं।

- **नदियों के बेसिन जोड़ने की योजना** के अन्तर्गत ब्राहमणी नदी से बनास बेसिन में स्थित बीसलपुर बांध में जल स्थानान्तरण करने, कालीसिंध, पार्वती, मेज व चाकन नदी से बनास, बाणगंगा, गंभीरी व पार्वती बेसिन (धौलपुर) में जल स्थानान्तरण करने एवं वाकल चतुर्थ (साबरमति बेसिन) से जवाई बांध (लूणी बेसिन) में जल स्थानान्तरण करने तथा देवास – चतुर्थ – तृतीय से राजसमद बांध में जल स्थानान्तरण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने का कार्य प्रगति पर है।

- इन्दिरा गांधी नहर परियोजना सहित विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत 3 हजार 861 करोड़ व्यय कर 31 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई।

- प्रथम बार 2 हजार करोड की लागत से इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की 6 लिफ्ट योजनाओं के 3.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में **फव्वारा सिंचाई पद्धति** लागू करने की परियोजना भारत सरकार से स्वीकृत करवायी।

ऊर्जा

- राज्य को **विद्युत उत्पादन की दृष्टि से आत्मनिर्भर** बनाने के लिये गत 2½वर्ष में राज्य की उत्पादन क्षमता में 4 हजार 650 मेगावाट वृद्धि की गई है। कुल 17 हजार 477 मेगावाट स्थापित करने के साथ ही राज्य विद्युत उत्पादन क्षेत्र में लगभग आत्मनिर्भर हो गया है।

- राज्य में किसानों एवं अन्य उपभोक्तओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये प्रसारण एवं **वितरण तंत्र को सुदृढ करने** की योजनाऐं चालू की गई है। प्रसारण तंत्र को सुदृढ करने हेतु गत 2½वर्ष में 765 केवी के 2 ग्रिड सब–स्टेशन 400 केवी के 3, 220 केवी के 24, 132 केवी के 45 तथा 33 केवी के 732 नये ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किये गये है। गत 2½वर्ष में 1लाख 15 हजार कृषि कनेक्शन तथा 14 लाख 64 हजार ग्रामीण घरेलू कनेक्शन जारी किये गये हैं।

- राज्य में 24X7 गुणवत्तायुक्त घरेलू विद्युत उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार एवं भारत सरकार के साथ संयुक्त योजना **24X7 बिजली सबके लिए योजना** के अन्तर्गत 2019 तक राज्य में 24 घण्टे बिजली उपलब्ध कराने एवं 30 लाख विद्युत से वंचित आवासों को कनेक्शन देने हेतु **दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना** के अन्तर्गत वितरण तंत्र को सुदृढ कर विकसित किया जा रहा है।

- राज्य की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राज्य के पश्चिमी रेगिस्तानी जिलों में उपलब्ध पवन एवं सौर ऊर्जा संसाधनों को विकसित करना भी राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकता है। राज्य में **1 हजार 292 मेगावाट सौर ऊर्जा** तथा **4 हजार मेगावाट पवन ऊर्जा** परियोजनाऐं स्थापित की गई है। 2½वर्ष में राज्य में 628 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयत्र तथा 1 **हजार** 277 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयत्र स्थापित किए गये है।

- सौर ऊर्जा नीति 2014 के तहत 26 हजार मेगावाट के 4 **सोलर पार्क्स** और 24 हजार मेगावाट के 5 **सोलर पावर प्लांट** स्थापित करने के एमओयू किए हैं।

- वितरण निगमों के उत्तरदायित्व तय करने के लिए राजस्थान राज्य विद्युत वितरण उत्तरदायित्व प्रबन्ध एक्ट बनाया गया है। वितरण निगमों के वित्तीय सुधार के लिए **उदय योजना** के अन्तर्गत 60 हजार करोड़ रुपये के बान्ड जारी कर राज्य सरकार ने वितरण निगमों के ऋण का भार अपने उपर लिया है।

- अविद्युतिकृत गांवों एवं दूर दराज की ढाणियों में Stand alone Solar System के माध्यम से Domestic Light उपलब्ध करवानेका कार्यक्रम भी राज्य सरकार द्वारा आरम्भ किया गया है।

- सौर/पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु खातेदारों को अपनी खातेदारी भूमि पर **बिना अनुज्ञा/संपरिवर्तन के ऊर्जा सयंत्र लगाने** का प्रावधान किया गया।

सड़क

- **सड़कों के विकास** पर 11 हजार 702 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है।

- **नवीन सड़कों के निर्माण** पर 4 हजार 438 करोड़ रूपये का व्यय कर **14** हजार **058** किलोमीटर लम्बाई में नवीन सड़कों का निर्माण किया गया।

- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** के तहत 7 हजार 84 किलोमीटर लम्बाई में सड़कों का निर्माण कर 2 हजार 525 ढ़ाणी/मजरों को डामर की सड़कों से जोड़ा गया है।

- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** के अन्तर्गत इस वर्ष शेष रही 1 हजार 480 आबाद ढ़ाणी/मजरों को 1 हजार 612 करोड़ रूपये की लागत से 4 हजार 293 किलोमीटर लम्बाई में डामर सड़कों का निर्माण कर सड़कों से जोड़ने के लिए 1 हजार 467 कार्यो की स्वीकृति प्राप्त की गई है।

- **ग्रामीण गौरव पथ योजना** के प्रथम चरण के तहत 1 हजार 963 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 1 हजार 720 किलोमीटर लम्बाई में ग्रामीण गौरव पथों (सीमेन्ट कंक्रीट) सड़कों का निर्माण कार्य 748 करोड़ रूपये की लागत से पूर्ण कर लिया गया है। 1 हजार 394 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर नालियों का भी कार्य पूर्ण किया गया है। द्वितीय चरण में 2 हजार ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्रामीण गौरव पथों का निर्माण प्रस्तावित है।

- राजस्थान राज्य राज मार्ग अधिनियम 2014 (वर्ष 2015 का अधिनियम संख्या–22) बनाया जाकर इसके अधीन **राजस्थान राज्य राज मार्ग प्राधिकरण का गठन**।

- 5 हजार 262 किलोमीटर लम्बाई में नवीन राज्य राज मार्ग घोषित किये गये है।

- ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के सड़क तंत्र में छुटे हुए **मिसिंग लिंक्स** का निर्माण करने के लिए 608 करोड़ रूपये लागत से 2 हजार 182 किलोमीटर लम्बाई के 1 हजार 9 कार्य स्वीकृत किये गये। इनमें से 835 किलोमीटर लम्बाई के 349 कार्य पूर्ण कर 189 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है।

- वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार **250 से 499 तक की आबादी के गाँवों को सड़क से जोड़ने** की योजना के तहत 2 हजार 131 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण कर 964 गाँवों को जोड़ा जा चुका है एवं 55 गाँवों को और जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। शेष 37 गाँवों को नवीन तकनीक के आधार पर जोड़ने का कार्य इस वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।

नगरीय विकास

- राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की महत्वकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हाउसिंग फॉर ऑल मिशन की क्रियान्विति के लिए **मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015** के अन्तर्गत राज्य के आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग व अल्प आय वर्ग की श्रेणी के परिवारों को सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध करवाने के लिए

विकासकर्ताओं को किसी परियोजना में राज्य स्तर पर लिये जाने वाले विभिन्न शुल्क यथा भू–उपयोग परिवर्तन, भवन मानचित्र अनुमोदन इत्यादि में छूट दी गयी है तथा उक्त वर्ग के लाभार्थी परिवारों को आवास के रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट प्रदान की गयी है। 50 हजार से अधिक मकानों के लिये एल ओ आई जारी की जा चुकी है।

- राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए **भूमि आवंटन नीति–2015** लागू की गई जिसके फलस्वरूप सार्वजनिक, सामाजिक, धार्मिक एवं चेरिटेबल संस्थाओं/ट्रस्टों को रियायती दर पर भूमि आवंटन, सामाजिक उपयोग, उद्योग व अन्य गतिविधियों के लिए भूमि आवंटन, राजकीय विभाग, राजकीय उपक्रमों को भूमि आवंटन एवं राजनैतिक दलों के लिए भूमि आवंटन सुगम हुआ है।

- **राजस्थान नगरीय भूमि (हक प्रमाणन) अधिनियम 2016** प्रभावी करने वाला राजस्थान भारत में प्रथम राज्य है जिसके अन्तर्गत नगरीय क्षेत्रों में भूखण्डधारियों को स्वामित्व का प्रमाण–पत्र दिया जावेगा।

- राज्य के 4 शहरों (जयपुर, उदयपुर, अजमेर एवं कोटा) को **स्मार्ट सिटी मिशन** के तहत स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जायेगा।

- **अमृत मिशन योजना** के तहत एक लाख आबादी से बड़े शहरों में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु राज्य के 29 शहरों का चयन कर कुल 5 हजार 800 करोड़ रूपये की परियोजना के अन्तर्गत 1 हजार 939 करोड़ रूपये के कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

- **राजस्थान शहरी** आधारभूत **विकास** परियोजना (RUIDP) चतुर्थ चरण (एडीबी की सहायता) में 37 शहरों (25 शहर 50 हजार–1.00 लाख जनसंख्या वाले शहर, 10 हेरिटेज टाऊन व 2 जिला मुख्यालय) के बुनियादे ढांचे के विकास हेतु अनुमानित 4 हजार 200 करोड़ रूपये लागत की योजना लागू की गयी है।

- **एल.ई.डी. प्रकाश योजना** (ऊर्जा बजत योजना) की कुल लागत 1 हजार 500 करोड़ है जिसमें वर्ष 2017 तक सभी शहरों में 15 लाख एल.ई.डी. बल्ब लगाये जाने का लक्ष्य है। **15 नगरीय निकायों में 2.45 लाख एल.ई.डी. बल्ब लगाये जा चुके** हैं तथा 16 नगर निकायों में कार्य प्रगति पर है।

- जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के फेज 1ए का व्यावसायिक संचालन दिनांक 3 जून 2015 को प्रारम्भ किया।

परिवहन

- **राजस्थान लोक परिवहन सेवा** के अन्तर्गत निजी बस ऑपरेटर्स को 234 मार्गों के लिये 810 परमिट जारी किये जा चुके है।

- आमजन को **वैधानिक व सुरक्षित परिवहन सेवा उपलब्ध कराने की योजना** के अन्तर्गत गत 2½वर्ष में **464 नये मार्ग खोले जा चुके हैं**।

- राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों को राज्य में प्रवेश करते समय चैक–पोस्ट पर टैक्स जमा कराने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है। इसके स्थान पर वाहन स्वामियों को ऑनलाईन टैक्स की गणना एवं नेट बैकिंग से भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

उद्योग एवं खनिज

- राज्य में निवेश प्रोत्साहित करने, बड़ी संख्या में रोजगार सृजित करने, राज्य के सामाजिक व आर्थिक विकास को गति देने एवं लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के उद्देश्य से **रिसर्जेन्ट राजस्थान पार्टनरशिप सम्मिट–2015** आयोजित किया गया। सम्मेलन के दौरान एवं उसके बाद अब तक विभिन्न सेक्टर्स में लगभग **3.38 लाख करोड रूपये** के प्रस्तावित **निवेश के 470 MoUs** हस्ताक्षरित किये जा चुके है। 365 MoUs में भूमि की आवश्यकता के विरूद्ध **328** (90%) **MoUs में भूमि चिन्हित** कर ली गई है।

- उद्योग विभाग ने उत्प्रेरक व उद्यम सहायक की भूमिका निभाते हुए 89 हजार 356 **लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना** उपरान्त सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा ज्ञापन जारी किये गये, इनमें 15 हजार 693 करोड़ रूपये का पूंजी विनियोजन हुआ।

- नई राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2014 लागू।

- Rajasthan Startup Policy, 2015 एवं MSME's Policy, 2015 जारी।

- **राजस्थान एम.एस.एम.ई. असिस्टेंस स्कीम** 2015 एवं **राजस्थान सिक, माइक्रो एंड स्माल एंटरप्राइज** (रिवाइवल एंड रिहैबलिटेशन) **स्कीम** 2015 लागू की गई है।

- प्रधान एवं अप्रधान खनिजों के आवेदन–पत्र वर्ष 2015 से ऑनलाईन।

- **राजस्थान खनन नीति– 2015 जारी।**

पंचायती राज

- राज्य में दो दशक बाद 47 पंचायत समितियों एवं 723 नवीन ग्राम पंचायतों का गठन। 64 पंचायत समितियां तथा 1423 ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन।

- राजस्थान राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों के लिये देश में पहली बार **शैक्षणिक योग्यताऐं** निर्धारित।

- पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए एवं पंचायतों द्वारा कराये जा रहे कार्यों की सम्पूर्ण जानकारी आमजन को सहजता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से **राजस्थान ई–पंचायत** का सॉफ्टवेयर विकसित किया जारहा है, जिससे सम्पूर्ण सूचनाएं public domain पर उपलब्ध हो सकेंगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों के खेल मैदानों के विकास हेतु '**मुख्यमंत्री खेल विकास योजना**'
- श्मशान–कब्रिस्तान की बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु **'मुक्तिधाम विकास योजना'**

स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण

- बेसलाईन सर्वे 2012 के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 83 लाख 53 हजार परिवार शौचालय विहीन थे, जिनमें से 38 लाख 66 हजार (46%) परिवारों को शौचालय सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है।
- अब तक राज्य में 2 हजार 605 ग्राम पंचायते खुले में शौच से मुक्त घोषित।
- 26 जनवरी, 2016 को बीकानेर जिले को राज्य में पहला **खुले में शौच से मुक्त** जिला घोषित किया गया है। इसी वर्ष अजमेर जिले को ODF घोषित किया जा रहा है। आने वाले समय में पाली, चूरू, झुन्झुनूं और गंगानगर जिले के ग्रामीण क्षेत्र खुले में शौच से मुक्त (ODF) जिले घोषित कर दिये जायेंगे।
- पंचायतीराज संस्थाओं में **निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों की अर्हता में शौचालय की अनिवार्यता**।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से लाभान्वित एक करोड़ परिवारों को एक वर्ष के अन्दर अपने घर पर शौचालय निर्माण कराया जाना आवश्यक।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापित कर्मचारियों, निश्चित मानदेय प्राप्त करने वाले कार्यकर्ताओं, उचित मूल्य दुकानदार तथा 50 हजार रूपये से अधिक कृषि ऋण लेने वाले किसानों के निजी घरों में **शौचालय की उपलब्धता** और एवं **उपयोग किया जाना अनिवार्य**।
- गांवों को स्वच्छ रखने के लिए **'मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना'।**

स्वच्छ भारत मिशन – शहरी

- 41 हजार 274 घरेलू शौचालय निर्मित। 192 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण
- आने वाले समय में डूंगरपुर शहर को खुले में शौच से मुक्त (ODF) घोषित कर दिया जाएगा।

- स्थानीय निकायो के **निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों के लिए** शैक्षणिक योग्यता निर्धारित एवं **घर में कार्यशील शौचालय की अनिवार्यता।**

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- ग्रामीण क्षेत्र में गुणवत्ता पूर्ण, निरंतर (24x7) स्वास्थ्य सेवाए उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से **आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र योजना** प्रारम्भ की गई है। आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में Allopathic, Ayurveda एवं योगा की सुविधाऐं एक ही छत के नीचे प्रदान की जायेगी। योजना के प्रथम चरण मे 295 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो को आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप मे विकसित किया जा रहा हैं। इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रोगियों को उपचारित करने के साथ–साथ जन समुदाय में रोगो को पहचाननें व रोकथाम के लिए कार्य किया जाएगा।

- बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता (Health and Hygiene) के लिए **निःशुल्क सेनेटरी नेपकिन वितरण योजना** प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों में जाने वाली कक्षा 6 से 12 तक की सभी किशोरी बालिकाओं को एवं बीपीएल पारिवार की विद्यालय नहीं जाने वाली 10 से 19 वर्ष की आयु की बालिकाओं को प्रति बालिका प्रति माह 12 सेनेटरी नेपकिन निःशुल्क वितरित किये जाने का प्रावधान हैं। 11 हजार बालिकाओं **सेनेटरी नेपकिन वितरण** वितरित।

- **आरोग्य राजस्थान** के अन्तर्गत दिसम्बर 2015 से मार्च 2016 तक राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत पर आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में 18 लाख 85 हजार लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई तथा 1 लाख 25 हजार गम्भीर बीमारियों से पीडित लोगों को इलाज हेतु उच्च राजकीय/निजी अस्पतालों के लिए रैफर किया गया।

- स्वास्थ्य जांच सम्बन्धी सूचना को भामाशाह कार्ड से जोड़कर प्रत्येक व्यक्ति का **ई–हैल्थ कार्ड** बनाया जायेगा तथा राज्य में **हैल्थ इन्फोरमेशन नेटवर्क** तैयार किया जायेगा।

- चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों को दूरगामी क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप 10 हजार से लेकर 30 हजार रूपये तक का विशेष भत्ता।

- आपातकालीन एवं एक्सीडेंट केसेज के तुरन्त ईलाज हेतु जयपुर में **इन्स्टीट्यूट ऑफ ट्रोमेटोलॉजी** प्रारम्भ।

- 108 एम्बूलेंस सेवा, 104 जननी एक्सप्रेस सेवा, बेस एम्बूलेंस तथा 104 चिकित्सा परामर्श सेवाओं को एकीकृत कर ''**जीवनवाहिनी Integrated Ambulance योजना**'' को 15 अगस्त, 2016 से लागू किया गया है।

- प्रत्येक माह की 9 तारीख को **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान** की शुरूआत 9 जून 2016 से की गई है। योजनान्तर्गत 5 हजार 19 शिविर आयोजित कर 1 लाख 25 हजार 576 गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

- **ओजस सॉफ्टवेयर** की सहायता से 6 लाख 44 हजार से अधिक प्रसूताओं को 91 करोड़ 33 लाख जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) प्रोत्साहन राशि का ऑनलाईन भुगतान किया गया है।

- एम.बी.बी.एस. योग्यताधारी **चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु** 60 वर्ष से बढाकर **62 वर्ष** की गई है।

- प्रदेश में 8 नये **मेडिकल कॉलेज** चूरू, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, भरतपुर, बाडमेर, पाली, अलवर एवं सीकर में स्थापित किये जा रहे है। इन नवीन मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 30 सितम्बर 2017 से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु भारत सरकार को आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है।

- इन नये मेडिकल कॉलेजों से प्रतिवर्ष 800 नवीन अतिरिक्त मेडिकल सीटों की उपलब्धता होगी। वर्तमान में प्रतिवर्ष 2100 एम.बी.बी.एस. डॉक्टर्स प्राप्त हो रहे हैं जिनकी संख्या बढ़कर वर्ष 2017–18 से 2900 डॉक्टर्स प्रतिवर्ष हो जायेगी।

- पिछले 2 सालों में 450 (150 राजकीय एवं 300 निजी) यू.जी. सीट्स एवं राजकीय **मेडिकल कॉलेजों में** 66 **सीट्स की वृद्धि** पी.जी. सीट्स में हुई है।

- जोधपुर एवं बीकानेर में **मल्टी डिस्पिलीनरी लैब** प्रारम्भ की गई है।

- राज्य में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 20 **योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रों** के भवन निर्माण करने के उपरान्त प्रारम्भ कर दिये गये है। विभाग में संचालित आयुर्वेद चिकित्सालयों में जटिल व असाध्य बीमारियों के उपचार हेतु 24 पंचकर्म केन्द्र प्रारम्भ किये गये है।

- आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में एकवर्षीय योग, पंचकर्म तकनीकी सहायक कोर्स, चार वर्षीय नर्सिग कोर्स प्रारम्भ।

- योग एवं प्राकृतिक चिकित्सकों को समभ्यास हेतु विधिक प्रावधान दिये जाने के उद्देश्य से राजस्थान देशीय चिकित्सा अधिनियम, 1953 में आवश्यक संशोधन किया गया है जिसके फलस्वरूप योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्र के योग्यताधारी समभ्यासियों का रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा।

श्रमिक कल्याण

- राज्य में औद्योगिक निवेश, उत्पादन तथा नियोजन को बढ़ावा देने हेतु औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947; ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970;

कारखाना अधिनियम, 1948 तथा शिक्षु अधिनियम, 1961 में आवश्यक संशोधन किए गए।

- **भामाशाह निर्माण श्रमिक कल्याण योजना** के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों को बच्चों में शिक्षा व कौशल विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना, आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना तथा उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना दिनांक 01.01.2016 से लागू की गई।
- श्रमिकों की बालिग पुत्रियों को उद्यमिता के माध्यम से सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 55 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दिये जाने की **शुभशक्ति योजना** प्रारंभ की गई।

पर्यटन

- नवीन पर्यटन इकाई नीति जारी की गई।
- वर्ष 2015 में 3 करोड़ 66 लाख देशी–विदेशी पर्यटक राज्य में भम्रण हेतु आये, जो गत वर्ष की तुलना में 6 प्रतिशत अधिक थे।
- राज्य योजनान्तर्गत विभिन्न **पर्यटक स्थलों के विकास** हेतु 45 परियोजनाओं पर विकास कार्य करवाये जा रहे है, जिनकी कुल लागत राशि 180 करोड़ रूपये है।
- स्वदेश योजनान्तर्गत पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **सांभर लेक टाउन का डेजर्ट सर्किट अन्तर्गत विकास** कार्यो हेतु राशि 63 करोड़ 96 लाख रूपये की परियोजना स्वीकृत करते हुये प्रथम किश्त के रूप में 20 प्रतिशत राशि 12 करोड़ 79 लाख रूपये निर्मुक्त किये।
- **राष्ट्रीय तीर्थ स्थल पुनरूद्धार एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान** (प्रसाद योजना) योजनान्तर्गत पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुष्कर/अजमेर का समग्र विकास कार्यो हेतु राशि 40 करोड़ 44 लाख रूपये की परियोजना स्वीकृत करते हुये प्रथम किश्त के रूप में 20 प्रतिशत राशि 8 करोड़ 9 लाख रूपये निर्मुक्त की गई है।
- **पर्यटन ईकाई** स्थापना हेतु **संपरिवर्तन शुल्क समाप्त** किया गया।

कृषि

- **कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि विपणन प्रोत्साहन नीति–2015 :** कृषकों की आय में वृद्धि, फसलोत्तर हानि में कमी, कृषि प्रसंस्करण एवं विपणन में नवीन तकनीकी एवं प्रक्रियाओं तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में राज्य की पहचान बनाने, नए रोजगार सृजन एवं कृषि प्रसंस्करण में निजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से **कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि विपणन प्रोत्साहन नीति–2015** जारी की गई।

- राज्य की जलवायु को देखते हुए कम पानी की फसलों के नवाचार के तहत पश्चिमोत्तर जिलों में **जैतून की खेती** की विपुल सम्भावनाओं को देखते हुए 550 हैक्टेयर में जैतून का पौधरोपण किया गया। बीकानेर के लूणकरणसर में देश की प्रथम जैतून रिफायनरी स्थापित की गई जिसमें 11 हजार 400 लीटर जैतून तेल का उत्पादन किया जा चुका है।

- किसानों में उद्यमिता के विकास को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में **सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों** की स्थापना के लिये कृषि भूमि के एक एकड़ तक के क्षेत्रफल को संपरिवर्तन शुल्क से मुक्त किया गया है।

- राजस्थान **राज्य की मण्डियों का कम्प्यूटराईजेशन** किये जाने हेतु राजस्थान इन्टीग्रेटेड मंडी मैनेजमेंट सिस्टम (RIMMS) परियोजना कृषि विपणन निदेशालय, 10 क्षेत्रीय कार्यालय एवं 5 कृषि उपज मंडी समितियों (चौमूं, खैरथल, भीलवाड़ा, पीलीबंगा, उदयपुर) में पाईलेट प्रोजेक्ट के रूप में प्रथम चरण में शामिल कियेगये है। राज्य की 50 मण्डियों में कम्प्यूटराईजेशन का कार्य शुरू किया जा चुका है।

- **''महात्मा ज्योतिबा फूले मण्डी श्रमिक कल्याण योजना 2015''** राज्य की कृषि उपज मंडी समितियों में कार्यरत अनुज्ञाप्तिधारी हम्मालों/पल्लेदारों की सहायतार्थ लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत महिला अनुज्ञाप्तिधारी को प्रसूति के समय 45 दिन की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि, पितृत्व अवकाश के रूप में 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि, इसके अतिरिक्त विवाह के समय सहायता, छात्रवृति/मेघावी छात्र पुरस्कार योजना, चिकित्सा सहायता राशि, आदि सहायता उपलब्ध करवायी जाती है।

- राज्य में 55 नवीन मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई एवं कृषकों को भूमि में सूक्ष्म तत्वों की जानकारी देने एवं आवश्यकतानुसार पोषक तत्वों का उपयोग कर अच्छी पैदावार के लिए किसानों को 18 लाख सोईल हेल्थ कार्ड़ वितरित किये गये हैं।

- भारत सरकार द्वारा राज्य को गेहूं उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये **कृषि कर्मण अवार्ड, 2015** प्रदान किया गया।

- राज्य में तीन नए उत्कृष्टता केन्द्र (Centre of Excellence) क्रमशः सन्तरा–झालावाड़, अमरूद–टोंक एवं आम–धौलपुर में स्वीकृत किये गये हैं।

- गत 2½वर्ष में 15 हजार सोलर पम्प सैट की स्थापना की गई। 54 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप एवं मिनी स्प्रिंकलर तथा 64 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा संयंत्र स्थापित। 16 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में नवीन फल बगीचों, 64 हैक्टेयर क्षेत्र में फूलोद्यान

की स्थापना की गई। 11 लाख 70 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में ग्रीन हाउस एवं 2 लाख 53 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में शेडनेट की स्थापना की गई।

- बूँद–बूँद सिंचाई एवं मिनि स्प्रिंकलर संयंत्र पर लघु एवं सीमान्त कृषकों को 70 प्रतिशत एवं सामान्य श्रेणी के अन्य काश्तकारों को 50 प्रतिशत अनुदान।
- लघु एवं सीमांत कृषकों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों को ग्रीन हाऊस और शेडनेट स्थापना पर इकाई लागत का 70 प्रतिशत एवं सामान्य श्रेणी के अन्य काश्तकारों को 50 प्रतिशत अनुदान।
- राज्य भण्डार व्यवस्था द्वारा संग्रहण शुल्क में समस्त कृषको को 60 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषको को 70 प्रतिशत की छूट दी जा रही है, जो कि अन्य राज्य भण्डारण निगमों एवं केन्द्रीय भण्डारण निगम की तुलना में सर्वाधिक हैं।

पशुपालन

- पशु चिकित्सा सेवा विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत गत वर्ष 200 **उपकेन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत** किया गया है एवं 600 **नवीन उपकेन्द्रों** की स्थापना की गई है। वर्ष 2016–17 में प्रदेश में 1 हजार नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों की स्थापना की जा रही है।
- राज्य के विभिन्न जिलों में चरणबद्व रूप से 2 हजार **एकीकृत पशुधन विकास केन्द्र** स्थापित किये जायेंगे।
- **भामाशाह पशुधन बीमा योजना** दिनांक 23 जुलाई 2016 से **प्रारंभ** की गई है। योजनान्तर्गत दुधारू, मालवाहक और अन्य पशुओं का बीमा किया जायेगा। इसके तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा बी.पी.एल. श्रेणी के पशुपालकों को प्रीमियम राशि का 70 प्रतिशत तथा अन्य पशुपालकों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।
- थारपारकर गाय की नस्ल के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जोधपुर व जैसलमेर जिले में **थारपारकार वंशावली चयन परियोजना** प्रारम्भ की गई है।
- गौसंवर्द्धन एवं पंचगव्य के उपयोग को लोकप्रिय बनाने तथा अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु पृथक से **गोपालन विभाग का गठन।**

शिक्षा

- प्रत्येक ग्राम पंचायत में चरणबद्ध रूप में एक विद्यालय को **आदर्श विद्यालय** के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन विद्यालयों में शैक्षिक गुणवता, आधारभूत सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। प्रथम चरण (वर्ष 2015–16) में 1 हजार 340 विद्यालयों को

आदर्श विद्यालयों के रूप में विकसित किया गया। वर्ष 2016–17 में 3 हजार 97 विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है।

- आदर्श विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की उपलब्धता, आधारभूत सुविधाऐं–कक्षा कक्ष बालक–बालिकाओं के लिये शौचालय पृथक–पृथक, चारदीवारी, प्रयोगशाला, कम्प्यूटर सुविधा एवं इन्टरनेट कनेक्शन तथा गुणवत्ता परख शिक्षा उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

- आदर्श विद्यालय आस–पास के अन्य विद्यालयों के लिये संदर्भ केन्द्र एवं मेन्टर (Mentor) विद्यालय होंगे, जो उन्हें तकनीकी सहयोग/मादर्शन प्रदान करेंगे।

- राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में से एक उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालय को **उत्कृष्ट विद्यालय** के रूप में विकसित किया जा रहा है। सत्र 2016–17 में 4 हजार 289 एवं सत्र 2017–18 में 5 हजार 381 विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में विकसित किया जावेगा।

- राज्य में वर्ष 2013–14 तक प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के 28 हजार 155 विद्यालयों में 30 से कम नामांकन होने से स्कूल शिक्षा में गुणावत्मक सुधार, उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग एवं प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण हेतु **विद्यालयों का एकीकरण**। राज्य में विद्यालयों के एकीकरण से पूर्व लगभग 82 हजार 885 विद्यालय तथा एकीकरण के पश्चात् 67 हजार 717 विद्यालय।

- **प्रत्येक ग्राम पंचायत में कक्षा 12वीं तक की शिक्षा** उपलब्ध करवाने के लिये 5 हजार माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोनयन से राज्य में 3 हजार 461 माध्यमिक विद्यालय कक्षा 1–10 के तथा 8 हजार 663 उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 1–12 के स्थापित।

- विद्यालयों के एकीकरण से प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षाओं एवं शिक्षकों पर माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्था प्रधानों का नियंत्रण।

- एकीकृत विद्यालयों में एक ही स्थान पर कक्षा 1 से 10/12 की अध्ययन की सुविधा होने से **विद्यार्थियों की ड्रॉप आउट दर में कमी**।

- एकीकरण से राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2015–16 में 5.50 लाख विद्यार्थियों के **नामांकन में वृद्धि**।

- राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 2013 के 56 से बढकर 2016 में 70 हुआ है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 12वीं विज्ञान के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम 34 से बढकर 47 प्रतिशत हुआ है।

- माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 10वीं एवं 12वीं कक्षा की राज्य स्तरीय परीक्षा में वर्ष 2013 में दो विद्यार्थी **राज्य स्तरीय मैरिट** में आये जबकि वर्ष 2016 में यह संख्या बढकर 16 हो गई। जो राजकीय स्कूलों के शिक्षा के स्तर में सुधार को दर्शाता है।

- 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिये मूल्यांकन हेतु '**जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन'** सत्र 2016–17 से लागू तथा राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य तथा निजी विद्यालयों के लिए वैकल्पिक।

- जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन व्यवस्था के परिणाम का उपयोग तृतीय श्रेणी शिक्षकों के कार्य के मूल्यांकन एवं जवाबदेही तय करने में, कमजोर बच्चों की पहचान कर उनका स्तर सुधारने हेतु उपचारात्मक कार्यक्रम लागू करने में तथा शिक्षकों के कमजोर पक्षों की पहचान की जाकर सुधार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में किया जा सकेगा।

- सत्र 2016–17 से राज्य के शैक्षिक दृष्टि से पिछडे नवीन 61 ब्लॉक्स में अंग्रेजी माध्यम के **स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों** का संचालन प्रारंभ किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में शैक्षिक दृष्टि से पिछडे 186 ब्लॉक्स में से 132 ब्लॉक्स में स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल संचालित हैं। इन विद्यालयों में अब तक लगभग 40 हजार विद्यार्थी नामांकित हो चुके हैं।

- ग्रामीण क्षेत्र की माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को आवासीय सुविधा प्रदान करने हेतु राज्य के शैक्षिक दृष्टि से पिछडे 183 ब्लॉक्स में **शारदे बालिका छात्रावासों** में छात्राओं की क्षमता 50 से बढ़ाकर प्रति छात्रावास 100 की जा रही है।

- राज्य के 670 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में **व्यावसायिक शिक्षा** प्रारंभ की गई है। इन विद्यालयों में लगभग 55 हजार विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

- राज्य में 7 हजार 25 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में **कप्यूटर लैब** स्थापित हैं। वर्ष 2016–17 में अतिरिक्त 303 विद्यालयों में कंप्यूटर लैब स्थापित की जा रही है।

- 770 विद्यालयों में **स्मार्ट क्लास रूम** की स्थापना के अन्तर्गत 407 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम की स्थापना की गई है।

- कला संकाय वाले 152 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में **विज्ञान अथवा वाणिज्य संकाय** खोले गये।

- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 204 करोड़ 24 लाख रूपये की लागत से 350 विद्यालयों में 2 हजार से अधिक कार्य कराये जाएंगे। जिनमें विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्यूटर कक्ष, आर्ट एवं क्राफ्ट रूम, पुस्तकालय, अतिरिक्त कक्षा–कक्ष एवं पेयजल सुविधाओं में सुधार के कार्य शामिल होंगे।

- माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में आधारभूत संरचना के निर्माण एवं विकास हेतु **"मुख्यमंत्री जन–सहभागिता विद्यालय विकास योजना"** प्रारंभ की गई है।

- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में Networking कर E-training की व्यवस्था की जा रही है। जिसके अंतर्गत अध्यापकों को नवीन तकनीक से गुणात्मक प्रशिक्षण दिलाने हेतु इनमें वीडियो कांफ्रेंसिंग, डिजिटल पुस्तकालय एवं **E-teaching** की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

- निजी विद्यालयों द्वारा वसूली जा रही फीस पर नियंत्रण करने हेतु राजस्थान विद्यालय (फीस का संग्रहण एवं विनियमन) अधिनियम 2013 के स्थान पर **राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम 2016** लागू किया गया। जिसके अंतर्गत विद्यालय स्तर पर ही फीस का निर्धारण किया गया है तथा अपील का प्रावधान भी इस पर रखा गया है।

- गत 2½वर्ष में राज्य में 28 **नवीन राजकीय** तथा 298 **निजी महाविद्यालय** प्रारम्भ किये गये।
- राज्य में 4 **नवीन निजी विश्वविद्यालयों** को स्वीकृति।
- शैक्षणिक सत्र 2016–17 में सभी राजकीय महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष में 25 प्रतिशत **सीटों की वृद्धि** की गई।

- राजकीय महाविद्यालयों में युवाओं को रोजगार की जानकारी देने हेतु **रोजगार प्रकोष्ठों की स्थापना**।

- 32 महाविद्यालयों के लंबित भवन निर्माण कार्य को पूरा करवाने हेतु राशि रुपये 53 करोड़ 60 लाख आवंटित की गई।

- **मेधावी छात्रा स्कूटी योजना** के तहत 942 मेधावी छात्राओं को तथा **देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना** के तहत 995 स्कूटी वितरित की गई। अनुसूचित क्षेत्रकी **जनजाति छात्राओं** को 1 हजार 222 स्कूटी वितरित की गई।

- **पशु चिकित्सा में PG एवं Ph.D.**में अध्ययनरत विद्यार्थियों को 5 हजार रुपये प्रतिमाह की **छात्रवृत्ति** बढ़ाकर **10 हजार रुपये प्रतिमाह** की गई है।

महिला एवं बाल विकास

- आंगनबाड़ी के बच्चों के शारीरिक, मानसिक व शैक्षणिक विकास के उद्देश्य से प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर **खिलौना बैंक, शिक्षण सामग्री बैंक** की स्थापना व वृक्षारोपण जैसे नवाचार भी प्रारम्भ किये गये हैं। इसके तहत क्षेत्र के प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं, भामाशाहों, सी.एस.आर. के तहत सहयोग करने वाली कंपनियों, जनप्रतिनिधियों एवं जिला प्रशासन से सहयोग प्राप्त कर आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, खिलौने इत्यादि उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आंगनवाड़ी केन्द्रों पर 2.5 लाख से अधिक खिलौने वितरित।

- राज्य में बालिका संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को सम्मानित व पुरस्कृत करने के लिए '**गरिमा बालिका सम्मान एवं संरक्षण योजना, 2016** लागू की गई है। योजना का लक्ष्य विभिन्न स्तरों पर बालिकाओं के प्रति हिंसा व शोषण के विरूद्ध अनुकरणीय कार्य करने वाली बालिकाओं, संस्थाओं, मानदेय कर्मियों आदि को मान्यता व प्रोत्साहन देना एवं प्रेरणस्त्रोत विकसित करना है। योजनान्तर्गत **पुरस्कार स्वरूप** प्रत्येक व्यक्ति/संस्था को **25 हजार रूपये नकद, प्रशस्ति पत्र, एवं प्रतीक चिन्ह** प्रदान किया जायेगा।यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस, 24 जनवरी के अवसर पर आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदान किया जायेगा।

- बालिका जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए '**बेटी बचाओ, बेटी पढाओ**' योजना राज्य के 10 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है।

- डायन प्रताड़ना की शिकार महिलाओं की सुरक्षा, पुनर्वास/पुर्नस्थापन तथा डायन प्रताड़ना के आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2015 दिनांक 17.08.2015 से प्रवृत।

- गत 2½ वर्ष में 80 हजार 115 महिलाओं को **निःशुल्क बेसिक कम्प्यूटर प्रशिक्षण**।

- अग्रणी समाज सेवियों, दानदाता, स्वयंसेवी संगठन व कॉरपोरेट की सामाजिक दायित्व में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए **नन्दघर योजना** आरम्भ। 512 आँगनबाड़ी केन्द्रों को गोद दिया।

- राज्य में 768 नये **आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने** की स्वीकृति जारी की गई है।

सामाजिक सुरक्षा

- **विशेष पिछडा वर्ग** के अभ्यर्थियों को विधानसभा से पृथक अधिनियम पारित करवाकर पांच प्रतिशत आरक्षण भी प्रदान किया गया है। जिसकी पालना में भर्तियां प्रारम्भ कर दी गई है। इस अधिनियम को संविधान की नवीं अनुसूची में सम्मिलित करवाने की प्रक्रिया भी आरंभ की गई है।

- राजस्थान अधिसूचित क्षैत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम 2014 के अन्तर्गत **जनजाति क्षेत्र के लिए अलग से भर्ती के प्रावधान** किया गया है।

- विशेष योग्यजनों, वृद्धजनों एवं विधवाओं के लिए संचालित **सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं** के अन्तर्गत राज्य में राष्ट्रीय एवं राज्य पेंशन योजनाओं के तहत लगभग 58 लाख 37 हजार व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा कर 3 हजार 620 करोड़ रूपये का वार्षिक व्यय किया जा रहा है। सामाजिक सूरक्षा पेंशनर्स को भामाशाह योजना से जोडते हुए लगभग 52 लाख पेंशनर्स को पेंशन राशि का भुगतान बैंक बचत खातों के माध्यम से किया जा रहा है।

- **पालनहार योजना** में लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों के ऑन–लाईन डेटा फीड किये जाकर वर्ष 2015–16 में 161 करोड़ 45 लाख रूपये का व्यय कर 1 लाख 74 हजार 867 बच्चों को लाभान्वित किया गया।

- अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के पात्र छात्र–छात्राओं को **उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना** के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में 406 करोड़ रूपये व्यय कर 4 लाख 23 हजार 661 छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया गया। इसके साथ ही वर्ष 2015–16 से उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना को पेपर लेस किया जाकर पूर्णतया ऑन–लाईन प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है।

- देव नारायण योजना के अन्तर्गत **विशेष पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना** के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में 50 करोड़ 74 लाख रूपये व्यय कर लगभग 45 हजार विद्यार्थियों को लाभांवित किया गया।

- विधवा महिला द्वारा पुनर्विवाह करने पर देय सहायता राशि 15 हजार रूपये से बढाकर 30 हजार रूपये की गयी है।

- अनु.जाति/जन जाति/अ.पि.वर्ग के बीपीएल तथा सामान्य वर्ग के बीपीएल वर्ग को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु **अनुप्रति योजना** के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारम्भिक, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में उतीर्ण होने तथा इंजिनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज कक्षाओं में प्रवेश होने पर प्रोत्साहन

राशि दिये जाने का प्रावधान है। गत 2½वर्ष में 7 करोड़ रूपये व्यय कर 2214 अभ्यर्थियों को लाभांवित किया गया।

- **सामूहिक विवाह अनुदान योजना** के तहत नवविवहिता (वधू) को दी जाने वाली राशि 10 हजार रूपये को बढ़ाकर 15 हजार रूपये प्रति जोड़ा व संस्था को विवाह आयोजन के रूप में देय राशि 2 हजार 500 रूपये प्रति जोड़ा को बढ़ाकर 3 हजार रूपये किया गया है।

- अनुसूचित क्षेत्र, माड़ा क्षेत्र तथा सहरिया एवं कथोड़ी परिवार के 43 हजार 770 बालक/बालिकाओं को **1 हजार 459 मॉ–बाड़ी केन्द्रों** में अनौपचारिक शिक्षा प्रदान कर लाभान्वित किया जा रहा है।

- 53 हजार 401 महाविद्यालय स्तर की अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रोत्साहन राशि दी जा रही हैं।

- 50 हजार 921 कक्षा 11–12 की अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को प्रोत्साहन सहायता प्रदान की जा रही है।

- अल्पसंख्यक समुदाय में शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार हो, और कौशल विकास के माध्यम से स्वरोजगार की दिशा में युवा आगे बढ़ सके, इसके लिये वर्ष 2016–17 में 1 हजार 69 अल्पसंख्यक युवाओं को विभिन्न विधाओं में **निःशुल्क रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण** दिया जा रहा है।

- वर्ष 2015–16 में अल्पसंख्यक समुदाय के 4 हजार 121 बेरोजगार युवाओं एवं महिलाओं 24 करोड़ रूपये की ऋण सहायता प्रदान की गई।

- राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत अल्प आय वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मेडिकल एवं इंजिनियरिंग परीक्षाओं के लिए निःशुल्क **सैटकॉम कोचिंग** प्रदान की जा रही है।

राजस्थान धरोहर संरक्षण

- **18 प्रमुख मंदिरों के आधुनिकीकरण**, सुदृढीकरण एवं नवीनीकरण हेतु 1 करोड़ 25 लाख रूपये की विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाकर श्री रूपनारायण सेंवत्री (राजसमन्द), घोटियां अम्बाजी (बांसवाडा), मंदिर श्री बेणेश्वर धाम (डूंगरपुर), एवं गोगाजी गोगामेडी (हनुमानगढ) में विकास कार्य प्रगति पर हैं।

- राज्य में **टेम्पल टाउन** बनाकर तीर्थाटन के विकास हेतु 13 स्थान चिन्हित किये जाकर व्यापक सर्वेक्षण पश्चात् मास्टर प्लान तैयार किया जाकर विकास कार्य हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है (खाटूश्यामजी, डिग्गीमालपुरा, चौथमाता, मेंहन्दीपुर बालाजी, मातृकुण्डिया, बेणेश्वर धाम, रूपनारायण मंदिर, चारभुजा मंदिर, रामदेवरा, सालासर हनुमानजी, पुष्कर एवं बूढा पुष्कर, गोगाजी गोगामेडी)।

- **पण्डित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक** का निर्माण ग्राम धानक्या, जिला जयपुर में 5 करोड़ की लागत से किया जा रहा है।

- राज्य में पहली बार ऐतिहासिक पुरूषों की जानकारी एवं इतिहास वर्णन के लिए 47 स्थानों पर **पेनोरमा निर्माण** कराने का निर्णय लिया गया है। इन पेनोरमा/स्मारकों से लोक देवताओं, महापुरूषों, स्वतंत्रता संग्राम एवं शहीदों के योगदान को आम जनता के समक्ष सांस्कृतिक तरीके से प्रदर्शित किये जाने से राज्य की सांस्कृतिक धरोहर से जनता का जुड़ाव होगा और धार्मिक तीर्थाटन एवं पर्यटन को बढावा मिलेगा।

- राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, जयपुर के द्वारा पौराणिक तीर्थ बूढ़ा पुष्कर का जीर्णोद्धार एवं संवर्द्धन कार्य, भक्त शिरोमणि मीरां बाई स्मारक, मेड़ता सिटी को संवर्द्धित करना, अजेय योद्धा महाराजा सूरजमल पैनोरमा किशोरी महल, भतरपुर, गोविन्द गुरू स्मृति उद्यान, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, वीरवती हाड़ी रानी स्मारक, सलूम्बर, साहवा सरोवर निर्माण (दशम गुरू गोविन्द सिंह की स्मृति में) साहवा, चूरू, लोक देवता गोगाजी का पैनोरमा गोगामेड़ी (हनुमानगढ़), लोक पूज्य देवता वीर तेजाजी पैनोरमा, खरनाल, नागौर, लोक पूज्य देवता जम्भोजी पैनोरमा के भवनों का निर्माण तथा पींपासर, जिला नागौर एवं नर्मदेश्वर धाम सीलू (जालौर) का नव निर्माण कार्य करवाया गया।